संथाल परगना क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार कार्यालय ,दुमका

आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि संथाल परगना क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दुमका की बैठक दिनांक–**25.02.2019 दिन सोमवार** को पूर्वाह्न 11:00 बजे आयुक्त–सह–अध्यक्ष संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के सभाकक्ष में होगी। उक्त बैठक में सरकार द्वारा निर्धारित मार्गों पर वातानुकूलित बस सेवा, सामान्य बस सेवा एवं ग्रामीण बस सेवा से संबंधित सभी प्रकार के आवेदन पत्रों पर विचार किया जायेगा। परमिट से संबंधित आवेदन **Online Spermit.Jharkhand.gov.in** पर ही स्वीकार किये जायेंगे। बैठक हेतु Online आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि **08.02.2019** तक निर्धारित की गयी है। समय सारणी का प्रकाशन Spermit.Jharkhand.gov.in पर किया जायेगा। Online आपत्ति देने की अंतिम तिथि **20.02.2019** तक निर्धारित की गयी है।

1. Online आवेदन संबंधित वाहन के अद्यतन कागजातों यथा निबंधन पुस्तिका, अद्यतन कर प्रतीक, दुरूस्ती प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण पत्र (कम से कम दिनांक तक मान्य) एवं सरकार द्वारा अनुमोदित गति नियंत्रक फिटमेंट प्रमाण पत्र छाया–प्रति की स्वहस्ताक्षरित प्रति के साथ upload होना चाहिए। वाहन का निबंधन चिन्ह झारखंड राज्य का होना चाहिए।
2. पूर्व से किसी मार्ग पर परमिट से आवृत वाहन पर परमिट प्रत्यार्पण का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आवेदन विचारार्थ बैठक में रखा जाएगा तथा स्थायी परमिट से आवृत वाहनों का प्रत्यार्पण के पश्चात् केवल स्थायी परमिट के लिए ही प्राप्त आवेदन पर विचार किया जाएगा।
3. आवेदन पत्र के साथ एक स्व–घोषणा पत्र देना होगा जिसमें सभी कागजातों की सत्यता, वाहन के स्पेयर के संबंध में स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक होगा।
4. प्रतिहस्ताक्षर हेतु दिए जाने वाले आवेदन–पत्रों के साथ परमिट की प्रति, निबंधन–पुस्तिका, अद्यतन कर–प्रतिक, दुरूस्ती प्रमाण–पत्र, बीमा प्रमाण–पत्र एवं सरकार द्वारा अनुमोदित गति नियंत्रक फिटमेंट प्रमाण पत्र छाया–प्रति की स्व–हस्ताक्षरित प्रति upload किया जाना अनिवार्य होगा।
5. नवीकरण से संबंधित आवेदनों पर बैंक से वित प्रदत रहने पर संबंधित बैंक से अनापत्ति प्रमाण–पत्र upload करना अनिवार्य होगा।
6. प्रस्तावित समय–सारणी पर की जाने वाली आपति संबंधित परमिट समय–सारणी की स्व–हस्ताक्षरित प्रति एवं मान्य शुल्क के साथ upload किए जाने पर ही आपत्तियों को विचार हेतु प्राधिकार की बैठक में सम्मिलित किया जाएगा। आपत्ति आवेदन में स्पष्ट रूप से आपत्ति बिंदु का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा। निर्धारित आपति तिथि के बाद आपति प्राप्त होने पर विचार नहीं किया जायेगा।
7. परमिट की स्वीकृति के उपरांत परमिट निर्गमन के समय संबंधित वाहन का सभी मूल कागजात सत्यापन हेतु कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. किसी भी प्रकार के Offline आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
9. प्राधिकार की बैठक दिनांक **29.09.2012** के निर्णयानुसार 15 वर्ष पुरानी आयु के वाहनों पर परमिट हेतु विचार नहीं किया जायेगा।
10. सभी आवेदकों को अपने आवेदन में अपना पूरा नाम पता के साथ मोबाईल नंबर एवं ईमेल पता दर्ज करना अनिवार्य होगा।

आयुक्त–सह–अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार।

31/1/19

(कार्तिक कुमार प्रभात)
उप परिवहन आयुक्त –सह– सचिव
सं०प० क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दुमका।

ज्ञापांक 30 /परि0, दुमका दिनांक 31.01.19

प्रतिलिपि :– निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, आड्रे हाउस परिसर , राँची, (झारखण्ड) को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस आशय की सूचना को स्थानीय समाचार पत्रों प्रकाशित करने हेतु कार्रवाई करने का कष्ट किया जाय।

31/1/19

ज्ञापांक :– 30 / परि0 दुमका दिनांक 31.01.19

प्रतिलिपि :– श्री लक्ष्मी नारायण सिंह, सदस्य, हंसडीहा, दुमका / श्री नीलकण्ठ सोनार, सदस्य अफजलपुर, नाला, जामताडा, को सूचनार्थ प्रेषित एवं अनुरोध हैं कि निर्धारित तिथि को उक्त बैठक में भाग लेने का कष्ट किया जाय।

31/1/19

(कार्तिक कुमार प्रभात)
उप परिवहन आयुक्त–सह–सचिव,
संथाल परगना क्षेत्रीय परिवहन,
प्राधिकार, दुमका।

ज्ञापांक :– 30 / परि0 दुमका दिनांक 31.01.19

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकार ,दुमका को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध हैं कि पूर्व बैठक के भांति इस बैठक मे भी माईक की व्यवस्था करना सुनिश्चित किया जाय।

2. प्रतिलिपिः– आयुक्त संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

31/1/19

(कार्तिक कुमार प्रभात)
उप परिवहन आयुक्त–सह–सचिव,
संथाल परगना क्षेत्रीय परिवहन,
प्राधिकार, दुमका।